

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय धन्ने का तला

प्रार्थी

बनाम

विप्राथीगण

1. बाबूराम पुत्र पोकरराम 2  
तेजाराम पुत्र पोकरराम 3 हीराराम  
पुत्र मथरा 4 पारसमल पुत्र  
गेनाराम जाति मेघवाल निवासी  
दौलतनगर शिवकर तहसील व  
जिला बाड़मेर।

1. सकूरा पुत्र पदमाराम 2 लछमणाराम पुत्र  
पदमाराम 3 शेराराम पुत्र पदमाराम 4 खीहरा  
पुत्र जलाल 5 वीराराम पुत्र जलाल 6  
लुणाराम पुत्र जलाल 7 प्रभूराम पुत्र जुझाराम  
8 मालणाराम पुत्र केसराराम 9 पारूराम पुत्र  
केसराराम 10 भीमाराम पुत्र केसराराम 11  
अजवाराम पुत्र केसराराम 12 भोपाराम पुत्र  
केसराराम 13 मानी पत्नी केसराराम  
जातियान मेघवाल निवासी जूना पतरासर,  
14 खुमाराम पुत्र मंगलाराम निवासी जूना  
पतरासर, 15 गजी पत्नी भैराराम निवासी  
भाड़खा, 16 माया पत्नी रताराम निवासी  
सरदारसिंह की ढाणी भणियाणा जिला  
जैसलमेर 17 सांवताराम पुत्र राजूराम जाति  
मेघवाल 18 मूला पुत्र श्रीरामा 19 भैरा पुत्र  
श्रीरामा 20 भीखी पत्नी श्रीरामा 21 सुखा  
पुत्र पैलाद 22 थाना पुत्र खैराज 23 किसन  
पुत्र खैराज 24 गोसाई पुत्र जुगता 25 सुखी  
पत्नी जुगता जातियान मेघवाल 26 गैरी  
पत्नी मालण जाति भील निवासी धन्ने का  
तला शिवकर 27 भारथा पुत्र जवाना 28 नेनू  
पुत्र जवाना जातियान माली 29 सुजान पुत्र  
पावू जाति भील निवासी शिवकर तहसील व  
जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत्  
राजस्व आवेदन संख्या-105/2021 दिनांक-22.10.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा दौलत नगर पटवार हल्का शिवकर, तहसील व जिला  
बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 1152/818 रकबा 33.11 बीघा के चारो तरफ पक्के  
नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त  
किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्यवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्राथीगण को जरिये  
नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकरर कर (वर्षाकाल में खड़ी  
फसल पर सीमांकन व पत्थरगद्दी नहीं करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश  
दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे।  
कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षर एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की  
जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर

दिनांक- 19/11/2021

क्रमांक/रीडर/2021/6417-6420

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी शिवकर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर  
नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
3. प्रार्थी बाबुराम पुत्र पोकरराम वगैरे जातियान मेघवाल निवासी दौलतनगर शिवकर तहसील व  
जिला बाड़मेर।
4. विप्राथी सकूरा पुत्र पदमाराम वगैरे जाति मेघवाल/भील/माली, निवासी जूना पतरासर सरदारसिंह  
की ढाणी भणियाणा जिला जैसलमेर, धन्ने का तला शिवकर तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर